न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–106/2015/टोंक (2015/00057)

1. मोहम्मद असलम पुत्र अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी दीवान जी का कुआं, कालीपलटन, टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रभू पुत्र श्रीकिशन जाति कीर, निवासी ग्राम कंकराजकलां, तहसील पीपलू, जिला टोंक ।
2. ग्राम पंचायत हाडीकलां, तह0 पीपलू, जिला टोंक जरिये सरपंच ।
3. कजोड़ पुत्र जंगल्या, जाति कीर,
4. महावीर पुत्र जंगल्या, जाति कीर,
5. हरदेई बेवा जंगल्या, जाति कीर,
   समस्त निवासीगण ग्राम कंकराजकलां, तह0 पीपलू, जिला टोंक ।
6. पटवारी हल्का ग्राम हाडीकलां, तह0 पीपलू, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक दिनांक 15.7.2015 अंतर्गत अपील संख्या 3/2014.

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांक :– 17.5.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 15.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने ग्राम पंचायत, हाडीकलां द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 508 दिनांक 6.1. 2014 के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के न्यायालय में पेश कर नामांतकरण संख्या 508 को अपास्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 15.7.2015 द्वारा

नामांतकरण संख्या 508 दिनांक 6.1.2014 को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई ।

xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 17.2.2014 को अपील दर्ज कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात् पकरण लगातार तलबी हेतु नियत चलता रहा । दिनांक 17.4.2015 की आदेशिका में रेस्पो0 संख्या 5 के नोटिस पेश होने पर जारी होने तथा पत्रावली दिनांक 22.5.2015 को पेश होने का अंकन होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 को सूचना दिये बिना प्रकरण को लोक अदालत कैम्प पीपलू में नियत कर एकतरफा में प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो लोक अदालत की मंशा एवं प्रावधानों के विपरीत होकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत हाडीकलां द्वारा नामांतकरण संख्या 508 दिनांक 6.1.2014 के विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया है एवं जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करवा दिया जाता तब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीकशुदा नामांतकरण को भी निरस्त नहीं किया जा सकता है । उक्त विधिक प्रावधान को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण संख्या 508 दिनांक 6.1.2014 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी किन्तु अधी0न्याया0 ने मियाद के बिन्दू को निर्णित किये बिना अवैधानिक रूप से प्रकरण को लोक अदालत कैम्प पीपलू में नियत कर लोक अदालत की मंशा के विपरीत निर्णित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 508 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जो कि आवश्यक था । उक्त प्रार्थना पत्र के अभाव में भी रेस्पो0 संख्या 1 की अपील पोषणीय नहीं थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के समक्ष निर्णित पूर्व प्रकरण संख्या 79/2004 बउनवानी कजोड़ वगैरह बनाम प्रभू वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2012 के विरूद्ध अपीलांट ने अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में अपील के विचाराधीन रहते उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा नामांतकरण की समरी कार्यवाही में अपीलांट के पक्ष में तस्दीक नामांतकरण संख्या 508 को निरस्त किये जाने में त्रुटि कारित की है । उपखण्ड अधिकारी ने

रेस्पो0 संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से रेस्पो0 की तलबी शेष रहते तथा रेस्पो0 को सूचित किये बिना प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णित किया है जो विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 15.7.2015 अपास्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 374, आर0बी0जे0 2013 पेज 1, आर0आर0डी0 2005 पेज 717, आर0आर0टी0 2006 (1) पेज 496, आर0आर0टी0 2003 (3) पेज 1034, आर0आर0टी0 2006–07सप्लीमेंट्री पेज 261, 292 एवं आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 1317 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।
xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा लोक अदालत कैम्प पीपलू में प्रकरण नियत कर एकतरफा में आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं थी । अपीलांट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.9.2015 को मौके पर आकर प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलदांजी की गई एवं आक्षेपित निर्णय बाबत् कथन किया गया तब प्रार्थी ने दिनांक 14.9.2015 को अभिभाषक से संपर्क कर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्राप्त कर नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 16.9.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने मियाद के संबंध में आर0आर0टी0 2014 पेज 248 एवं आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 168 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।xx

5- विद्वान वकील रेस्पोडेट ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि खसरा संख्या 113/3 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम कंकराजकलां के खातेदार रेस्पो0 कजोड, महावीर पुत्रान जंगल्या एवं हरदेई बेवा जंगल्या थे । विवादित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक वाद संख्या 79/04 रेस्पो0 संख्या 1 प्रभू व उसके परिवारजन के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था । उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा दिनांक 24.2.2012 को रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त कर रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 को पाबंद किया गया कि वे रेस्पो0 संख्या 1 प्रभू को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं करे तथा वादीगण अपने हक में खातेदारी का इंद्राज होने से आराजी का रहन, दान, बैचान नहीं करे । उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा उक्त प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 को पाबंद किये जाने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 द्वारा विवादित आराजी का बैचान अपीलांट के पक्ष में किया गया है जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य प्रभावी है । उक्त अवैध एवं शून्य प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम पटवारी हल्का द्वारा

खातेदारान व क्रेता से सांठ–गांठ करके एवं तथ्यों को छिपाते हुए नामांतकरण संख्या 508 भरा गया वह पूर्णतया विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर खातेदारान का कब्जा नहीं था तथा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय अनुसार भी खातेदारान बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रेस्पो0 संख्या 1 को बेदखल किये बिना विवादित आराजी को रहन, दान, बैचान करने से पाबंद थे इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 ने उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के निर्णय व डिक्री की अवज्ञा कर अपीलांट को विवादित आराजी का विक्रय किया है जो विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं शून्य है तथा ऐसे विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी में हितबद्ध पक्षकार है, जिसे नामांतकरण भरे जाने से लेकर स्वीकार किये जाने तक किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा ना ही नामांतकरण संख्या 508 तस्दीक किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत हाडीकलां द्वारा विवादित भूमि के मौके की जांच ही की गई है । ग्राम पंचायत हाडीकलां द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 508 दिनांक 6.1.2014 विधि विरूद्ध होने से अधी0न्याया0 ने अपास्त किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । xx

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रारंभ से जानकारी होना नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित आराजी का क्रेता है जिसे सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित आराजी खातेदार रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2013 को क्रय की है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण संख्या 508 भरे जाने पर ग्राम पंचायत हाडीकलां ने दिनांक 6.1.2014 को अपीलांट के पक्ष में नामांमतकरण तस्दीक किया है । उक्त नामांतकरण के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 17.2.2014 को अपील दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 5 के रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस पेश होने पर जारी होकर दिनांक 14.3.2014 तारीख पेशी नियत की । तत्पश्चात् 13 पेशियों तक पत्रावली

वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 5 चलती रही । दिनांक 17.4.2015 की आदेशिका में यह अंकित है कि रेस्पो0 संख्या 5 के नोटिस पेश होने पर तलबी जारी हो तथा पत्रावली दिनांक 22.5.2015 को पेश हो । इसके पश्चात् पत्रावली दिनांक 22.5.2015 को पेश न होकर दिनांक 26.6.2015 को कैम्प नाथड़ी में पेश होने पर पीपलू कैम्प में दिनांक 10.7.2015 को पेश करने के आदेश दिये गये किन्तु पत्रावली दिनांक 22.5.2015 को पेश नहीं होने के संबंध में उक्त आदेशिका में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है । तत्पश्चात् दिनांक 10.7.2015 को पत्रावली कैम्प नाथड़ी में पेश होने पर पुनः पत्रावली लोक अदालत कैम्प पीपलू में पेश होने पर दिनांक 10.7.2015 को पत्रावली को निर्णित किया गया है । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पत्रावली रेस्पो0 संख्या 5 की तलबी में नियत थी किन्तु अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 5 की तलबी पूर्ण होने से पूर्व ही रेस्पो0 को बिना कोई नोटिस जारी किये प्रकरण को लोक अदालत कैम्प पीपलू में नियत कर निर्णित किया है । लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति से राजीनामे के आधार पर प्रकरणों को निर्णित किया जा सकता है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में तो रेस्पो0 संख्या 5 की तलबी शेष रहते तथा रेस्पो0 को सूचित किये बिना अधी0न्याया0 ने प्रकरण को निर्णित किया है जो लोक अदालत के प्रावधानों एवं मंशा के विपरीत है । यद्यपि यह सही है कि विवादित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 से 5 का वाद संख्या 79/2004 खारिज कर यह आदेश पारित किये थे कि रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 प्रतिवादीगण वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 प्रभू व उसके परिवारजन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे तथा वादीगण अपने हक में खातेदारी इंद्राज होने से आराजी का रहन, दान, बैचान नहीं करे । अधी0न्याया0 की उक्त स्थायी निषेधाज्ञा होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 द्वारा विवादित आराजी का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के अपीलांट को किया गया है वह भी विधिविरूद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2013 की पालना में नामांतकरण संख्या 508 दिनांक 6.1.2014 को ग्राम पंचायत हाडीकलां द्वारा तस्दीक किया गया है किन्तु उक्त नामांतकरण की अपील में रेस्पो0 संख्या 1 ने विक्रेता को तो पक्षकार नियुक्त किया है किन्तु क्रेता अपीलांट को पक्षकार नियुक्त नहीं किया जबकि अपीलांट सद्भाविक क्रेता होने से उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था । अधी0न्याया0 ने भी उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर लोक अदालत की मंशा के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । यहां हम यह उल्लेखित करना उचित समझते है कि उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा वाद संख्या 79/2004 में पारित निर्णय के क्रम में अपीलांट विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व उसके परिवारजन को बेदखल करने एवं इसी तरह रेस्पो0 संख्या 1 व अन्य वाद संख्या 79/2004 में पारित स्थगन आदेश के बावजूद हुए पंजीकृत विक्रय को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है ।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.7.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीपलू को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 106/2015 (2015/00057) बउनवानी मोहम्मद असलम बनाम प्रभू वगैरह को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा अपील संख्या 3/14 में पारित निर्णय दिनांक 15.7.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीपलू को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नियुक्त कर उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा वाद संख्या 79/2004 में पारित निर्णय के प्रभाव का अवलोकन कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 17.5.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर